Directorate of Industries
Government of Jharkhand

State level Award -2017 for Micro,Small & Medium Enterprise for out Standing Performance under various categories

Applications are invited from entrepreneurs of Micro. small & Medium Enterprise situated in Jharkhand for State Level Awards for outstanding performance, for the year 2017 under the following categories;-

Sl no.	Eligible Unit	Category of Award
1	Micro & SSI Unit	Least Accident Safety Award
2	Micro & SSI Unit	Energy Conservation Award
3	Micro & SSI Unit	Labour Welfare Award
4	Micro & SSI Unit	New/Innovative Product Award
5	Micro & SSI Unit	Maximum Profit/Turn Over Award
6	Micro & SSI Unit	Electronics Communication Award
7	Medium Scale Unit	Environment Management Award
8	Medium Scale Unit	Sick Industries Turn-Around Award

Each Award will carry Rs. 50.000.00 (Fifty thousand) as 1st prize, Rs. 40.000.00 (Forty thousand) as 2nd prize and Rs. 25.000.00 (Twenty five thousand) as 3rd prize in addition to a scroll and a certificate.

In addition to above, applications are also invited from the entrepreneurs. who have established their unit under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) for state level special award.

For each Award , separate applications should be submitted.

The selection of units for outstanding performance under each category of award will be carried out by the Departmental Selection Committee (DSC) under Chairmanship of Secretary Industries, Govt. of Jharkhand.

Application form can be downloaded from the website www.jharkhandindustry.gov.in or may be obtained from offices of the District Industries Centre of Jharkhand / Adityapur Industrial Area Development Authority.VikasBhawan. Adityapur. Saraikela–Kharsawan/ Bokaro Industrial Area Development Authority. Vikas Bhawan, Balidih. Bokaro/ Ranchi Industrial Area Development Authority, RIADA Building, Namkum. Ranchi. / Santhal Pargana Industrial Area Development Authority. Sanyukt Shram Bhawan, Deoghar .

Application complete in all respect in the prescribed format should be submitted to Directorate of Industries, Nepal House, 3rd floor , Doranda. Ranchi by 1700 hrs on 25.08.2017 Further details can be seen in the government website www.jharkhandindustry.gov.in

Applications received after the last date shall not be entertained.

Director of Industry
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

राज्य स्तरीय पुरस्कार–2017 की मार्गदर्शिका

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने एवं उनके उत्पादों की गुणवता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न विवरणी के अनुसार राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार, झारखण्ड द्वारा लिया गया है।

(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पुरस्कार की विवरणीः–

क0	पुरस्कार हेतु योग्य उद्यम	पुरस्कार की श्रेणी	प्रथम पुरस्कार की राशि	द्वितीय पुरस्कार की राशि	तृतीय पुरस्कार की राशि
1	2	3	4	5	6
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिए	न्यूनतम दुर्घटना सुरक्षा पुरस्कार (Least accident safety Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
2	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिए	उर्जा संरक्षण पुरस्कार (Energy Conservation Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
3	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिए	श्रमिक कल्याण पुरस्कार (Labour welfare Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
4	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिए	नवनिर्मित / नव परिकल्पित उत्पाद पुरस्कार (New/Innovative Product Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिए	सर्वाधिक लाभ / टर्नओभर पुरस्कार (Max.profit/turn over Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
6	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिए	आणविक संचारण पुरस्कार (Electronics Communication Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
7	मध्यम उद्यमों के लिए	वतावरण प्रबंधन / प्रदूषण प्रबंधन पुरस्कार (Environment Management Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
8	मध्यम उद्यमों के लिए	पुनर्वासित रूग्न उद्योग पुरस्कार (Sick Industries turn-around Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00

नोटः **उपर्युक्त पुरस्कार की श्रेणी में कमांक 1–6 तक के पुरस्कार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए है एवं कमांक 7–8 में वर्णित पुरस्कार मध्यम उद्यमों के लिए है।** पुरस्कार हेतु चयनित उद्यमियों को उपर वर्णित पुरस्कार की राशि के अतिरिक्त प्रमाण पत्र, शॉल एवं ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों में से सफलता पूर्वक इकाई संचालन एवं बैंक ऋण का 100% वापसी की स्थिति में प्रत्येक प्रमंडल से एक–एक चयनित लाभुक को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

राज्यस्तरीय पुरस्कार हेतु चयन की प्रकिया

1. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सामाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा एवं विज्ञापित अंतिम तिथि तक आवेदन निदेशक उद्योग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।
2. राज्य स्तरीय पुरस्कार के विहित आावेदन प्रपत्र कुल 10 पृष्ठों में है। प्रथम 02 पृष्ठ सामान्य आवेदन, सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित है। इसके बाद के कुल 08 पृष्ठों में आठ श्रेणियों के लिए अलग–अलग आवेदन उपलब्ध है। किसी एक श्रेणी के लिए आवेदन हेतु प्रथम 02 पृष्ठों के साथ संबंधित श्रेणी का आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा।
3. अंतिम निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को संकलित कर निदेशालय स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समीक्षा संबंधित उप उद्योग निदेशक, संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के विकास पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी।
4. जांच के कम में सही एवं पूर्ण पाये गये आवेदन पत्रो से संबंधित इकाईयों का स्थल जाँच प्रतिवेदन संयुक्त जाँच दल, जिसमें संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जि0उ0के0 / विकास पदाधिकारी संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक होंगे, से प्राप्त की जाएगी। जाँच दल आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य, इकाई की वर्तमान स्थिति, ऋण भुगतान की स्थिति आदि की जाँच कर पुरस्कार हेतु मंतव्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
5. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लाभुकों के लिए विशेष पुरस्कार हेतु विहित प्रपत्र में दिए गए तथ्यों के आलोक में चयन की कार्रवाई की जाएगी एवं पूर्व की भाँति प्रत्येक प्रमंडल से एक–एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिसकी राशि 25000.00 (पचीस हजार रू0) मात्र होगी। यदि प्रत्येक प्रमंडल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाने का उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाता है तो प्रथम पुरस्कार–25000.00, द्वितीय पुरस्कार–15000.00 एवं तृतीय पुरस्कार–10000.00 रूपये की राशि चयनित इकाईयों को दी जाएगी।
6. PMEGP के लाभुकों का चयन निम्नलिखित चेकलिस्ट में निर्धारित तथ्यों के आलोक में कमिटि द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा।

क	इकाई का नाम / पता	स्थापना वर्ष (3 वर्ष के पूर्व–2 एवं 3 वर्ष के बाद–1)	ट्रेड Mfg.-2 Serv.-1	EM–2 आधार–2	निवेश 5.00 लाख तक–3 5.00 लाख से अधिक–4	नियोजन प्रति 1.00 लाख निवेश पर–1 एवं अधिक–2	पुरूष–1 महिला–2	मानकीकरण –2	बैक रिपेमेंट –2	शहरी –1 ग्रामीण –2

7. संबंधित उप उद्योग निदेशक स्तर से समीक्षोपरांत प्राप्त सभी आवेदन पत्र Short listing करते हुए अंक तालिका एवं समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ निर्णय हेतु निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित एक समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा एवं तदोपरांत सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु उपस्थापित किया ज़ाएगा।

पात्रता–(I) उघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा परिभाषित सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों जो झारखण्ड राज्य के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत है, वे पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र समार्पित कर सकते हे।

(II) राज्य स्तरीय पुरस्कार–2017 एवं PMEGP के विशेष पुरस्कार से संबंधित विहित आवेदन पत्र उप उद्योग निदेशक का कार्यालय / जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय / औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (रियाडा,रांची, बियाडा